आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

करण संख्या 418/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ल एण्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय– वृन्दावन, प्लॉट नं. 177, सीएसटी रोड, कालीना, न्ताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

. श्री लोकेश मेहरचंदानी पुत्र श्री गोपालदास मेहरचंदानी,

. श्री गोपाल दास पुत्र श्री पेशमल,

. श्रीमती कमला पत्नी श्री गोपाल दास,

. मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती कमला,

पताः– 113/49, अग्रवाल फार्म, आईआईआरएम कॉलेज, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

अन्य पताः– 113/55 एवं 113/56, अग्रवाल फार्म, आईआईआरएम कॉलेज, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

5. मैसर्स रॉयल ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्री लोकेश मेहरचंदानी,

पताः– प्लॉट नं. 128, एमेजोन सेलर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर।

अन्य पताः– 113/49, अग्रवाल फार्म, आईआईआरएम कॉलेज, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

अन्य पताः– 113/55 एवं 113/56, अग्रवाल फार्म, आईआईआरएम कॉलेज, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः– श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश — दिनांकः 05.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्रीमती कमला मेहरचंदानी के स्वामित्त्व की संपत्ति मकान नं. 113/55, मानसरोवर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर, 2. श्री गोपाल दास के स्वामित्त्व की संपत्ति मकान नं. 113/30, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 50.92 वर्गमीटर, 3. श्री लोकेश मेहरचंदानी के स्वामित्त्व की संपत्ति मकान नं. 113/56, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर को बंधक रख कर दिनांक 19.01.2019 को राशि 31,24,761.96/– रूपये, दिनांक 10.07.2019 को राशि 26,66,961.20/– रूपये, दिनांक 16.07.2019 को राशि 42753.41/– रूपये, राशि 13,800.23/– रूपये, दिनांक 22.01.2019 को राशि 24,34,402.30/– रूपये, दिनांक 08.03.2019 को राशि 14,20,349.90/– रूपये, कुल राशि 97,03,029/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 97,03,029/—रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 01,01,75,444.95/—रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.08.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्रीमती कमला मेहरचंदानी के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति मकान नं. 113/55, मानसरोवर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर, 2. श्री गोपाल दास के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति मकान नं. 113/30, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 50.92 वर्गमीटर, 3. श्री लोकेश मेहरचंदानी के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति मकान नं. 113/56, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर